उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradsesh Undertaking)
CIN-U32201UP1999SGC024928

संख्या : 63—पें0एवंआर0—28 / पाकालि / 21—60—पी0 / 98, दिनांक : 12 जनवरी, 2021

प्रबन्ध निदेशक
पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल
विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / मेरठ / आगरा / लखनऊ
एवं केस्को कानपुर।

विषयः— पेंशन प्रकरणों एवं भविष्य निधि अंतिम भुगतान के शीघ्र निस्तारण हेतु चरणबद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा—निर्देश।

महोदय,

विभिन्न माध्यमों से कारपोरेशन प्रबन्धन के समक्ष यह शिकायत प्राप्त होती रहती है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्त पर समय से सेवा—नैवृत्तिक देयों की स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही नहीं हो पाती है जिससे सेवानिवृत्त कार्मिकों को विषम आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कतिपय मामलों में ऐसा भी देखा जा रहा है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके सेवा—नैवृत्तिक देयों के निस्तारण हेतु अपरिहार्य स्थितियों में मा0 न्यायालय के शरण में भी जाना पड़ता है जिससे जहाँ एक ओर सेवानिवृत्त कार्मिकों को मानसिक एवं आर्थिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, वहीं कारपोरेशन को भी मा0 न्यायालय में प्रकरण की पैरवी में धन एवं श्रम का अपव्यय करना पडता है।

उक्त स्थिति कदाचित कारपोरेशन एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों दोनों के लिये ठीक नहीं हैं एवं इसका तत्काल समाधान कराया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवा—नैवृत्तिक देयों के शीघ्र निस्तारण कराये जाने के संबंध में तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद के उक्त आदेश दिनांक 21.06.1991 एवं उसके साथ संलग्न शासनादेश दिनांक 28.07.1989 के अनुक्रम में विभिन्न कार्यालय के कार्यालयाध्यक्षों जिनके स्तर से पेंशन प्रपत्र पूर्ण कराकर पेंशन स्वीकृत की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं, को शीघ्र पेंशन निस्तारण की कार्यवाही हेतु **कारपोरेशन आदेश संख्या—1178—पें0एवंआर0—28 / पाकालि / 19, दिनांक 17.10.2019** द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं, जो कारपोरेशन की **वेबसाइट upenergy.in के circular** के अन्तर्गत दृष्टव्य है। जिसके अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिको के अंतिम तैनाती कार्यालय स्तर से समयबद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निम्न दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं, जिसके अनुक्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है :—

1. कार्मिकों के सेवानिवृत्त की तिथि के 12 माह पूर्व सक्षम अधिकारी / अधिष्ठान के स्तर से सेवानिवृत्त के सम्बन्ध में नोटिस के माध्यम से सूचित कर दिया जाये।
2. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवानिवृत्त की नोटिस निर्गत करने के उपरान्त अंतिम 12 माहों में से प्रारम्भ के 06 माहो में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक की सेवा—पुस्तिका का भली—भांति परीक्षण करके उसमें किसी प्रकार की अपूर्णता / त्रुटियों का संज्ञान आने पर सेवा—पुस्तिका की पूर्णता / शुद्धता सुनिश्चित कर ली जाये।
3. कार्मिक की सेवाकाल के तैनाती कार्यालयों से सेवानिवृत्त के 06 माह पूर्व के देयता / अदेयता के सम्बन्ध में सूचना अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन कड़ाई से किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ इकाईयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–63(।)पें0एवंआर0–28/पाकालि/21, तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं केस्को कानपुर।
2. अपर सचिव (का0प्र0–प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0प0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. उपमहाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)